Date: 11 **जुलाई** 2023

आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / स्वास्थ्य

सदर्भ-

- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार**, आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम** सेवाओं के अपने सबसे बड़े विस्तार से गुजर रहा है।

प्रमुख बिन्दु-

- नवीनतम विस्तार के तहत , केंद्र सरकार **गैर**-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग , रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन , सामान्य नेत्र और ईएनटी समस्याओं की देखभाल , बुनियादी मौखिक स्वास्थ्य देखभाल , बुजुर्ग और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं , आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की स्क्रीनिंग और प्रबंधन सहित सेवाओं को जोड़ रही है।
- विस्तारित सेवाओं के पूरक के रूप में , **स्वास्थ्य देखभाल-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में दवाएं उपलब्ध कराने के लिए दवाओं और निदान की आवश्यक सूची का विस्तार किया गया है।**
- एसएचसी-एचडब्ल्यूसी के स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का एक नया कैडर **शुरू किया गया है ताकि चिकित्सकों के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधकों के रूप में कार्य किया जा सके और** मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) , आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और सहायक नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) की टीम का नेतृत्व किया जा सके।
- सुविधाओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) मूल्यांकन और प्रमाणन **से गुजरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है** , जिसमें 2026 तक प्रमाणित होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के 50% का लक्ष्य रखा गया है।

आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र-

- 2018 में, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के आधार स्तंभ के रूप में 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) का निर्माण करने का ऐलान किया। ये उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों थे।
- 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने इन केंद्रों को भारत की स्वास्थ्य प्रणाली का आधार बनाया।

- एबी-एचडब्ल्यूसी योग जैसी कल्याण गतिविधियों सहित मुफ्त आवश्यक दवाएं और नैदानिक सेवाएं , टेलीकंसल्टेशन और स्वास्थ्य संवर्धन प्रदान करते हैं।
- ये केंद्र व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) प्रदान करेंगे, जिससे मुफ्त आवश्यक दवाओं और नैदानिक सेवाओं सहित मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और गैर-संचारी रोगों दोनों को कवर करने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलेगी।

आयुष्मान भारत-

- इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2018 में विमोचित किया गया था।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है एवं इसे केंद्र सरकार तथा राज्यों दोनों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है।
- इसने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) एवं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) को समाविष्ट कर लिया है।
- आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है , जो 10 करोड़ से अधिक निर्धन एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को आच्छादित करेगी, जो द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल में भर्ती हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करेगी।
- आयुष्मान भारत देखभाल दृष्टिकोण की निरंतरता को अपनाता है, जिसमें दो परस्पर संबंधित घटक शामिल हैं, जो हैं –
  - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना
  - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)

- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का उद्देश्य भारत के **लगभग 40% परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।**
- आयुष्मान भारत के दो घटक एक साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आकांक्षा को साकार करने में सक्षम होंगे।

स्रोत: TH

Rajiv Pandey

ओटीटी सेवाओं का विनियमन

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / शासन, मीडिया

सदर्भ-

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने व्हाट्सएप, जूम और गूगल मीट जैसी ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं को कैसे विनियमित किया जा सकता है, इस पर परामर्श शुरू कर दिया है।

प्रमुख बिन्दु-

- पिछले साल दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जारी ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल में भी उनके लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाकर ओटीटी सेवाओं को अपने दायरे में लाने की सिफारिश की गई थी।
- आईटी मंत्रालय पहले से ही ऐसी सेवाओं को विनियमित करने के लिए नोडल मंत्रालय है।
- सितंबर 2020 में ट्राई ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलेटरी इंटरवेंशन के खिलाफ सिफारिश करते हुए कहा था कि इसे बाजार की नैतिकता पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र की निगरानी की जानी चाहिए और 'उचित समय' पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।
- 2022 में, डीओटी ने प्राधिकरण को जवाबी पत्र लिखा , जिसमें उसने अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करने और "ओटीटी सेवाओं के चयनात्मक प्रतिबंध" के लिए एक उपयुक्त नियामक तंत्र का सुझाव देने का अनुरोध किया।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

ओटीटी सेवाएं क्या हैं?

- ओटीटी (Over-the-Top) सेवाएं दूरसंचार के क्षेत्र में उपलब्ध एक विशेष प्रकार की सेवाएं हैं जो इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं ट्राडिशनल दूरसंचार सेवाओं (जैसे वाणिज्यिक टेलीफोन या टेलीविजन) से अलग होती हैं और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाई जाती हैं।
- इन सेवाओं के लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है , और इन्टरनेट पर उपलब्ध एप्लिकेशन, वेबसाइट, या सेवा के माध्यम से इन्हें उपयोग किया जा सकता है।

ओटीटी संचार सेवाओं के लिए एक विनियमन क्यों?

- ट्राई का तर्क है कि हालांकि व्हाट्सएप और टेलीकॉम प्रदाता जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म समान सेवाएं प्रदान करते हैं , लेकिन वे समान नियमों के अधीन नहीं हैं। परिणामस्वरूप, नियामक समता की आवश्यकता है।
- इसके विपरीत, इसमें कहा गया है कि "ओटीटी संचार सेवा प्रदाता बिना किसी लाइसेंस के टीएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के समान वॉयस कॉल , मैसेजिंग और वीडियो कॉल सेवाएं प्रदान करते हैं। " इसमें कहा गया था कि दूरसंचार ऑपरेटरों को वॉयस और एसएमएस सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम , 1933 और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 सहित कई कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है , और उन्हें कानूनी अवरोधन जैसी आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है। इस तरह की आवश्यकताएं वर्तमान में ओटीटी सेवाओं पर लागू नहीं हैं।
- इसमें कहा गया है कि ओटीटी सेवाएं देश में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में वित्तीय रूप से योगदान नहीं देती हैं , जबकि ऑपरेटरों को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के लिए भुगतान करना पड़ता है।

टेलीकॉम और ओटीटी ऐप के बीच मुख्य मुद्दा क्या है?

- ट्राई ने कहा कि मोबाइल ग्राहकों से राजस्व में डेटा उपयोग का योगदान जून 2013 को समाप्त तिमाही में 8.10% से दस गुना से अधिक बढ़कर दिसंबर 2022 की तिमाही में 85.1% हो गया है।
- ट्राई ने कहा कि वर्ष 2014 से 2022 तक, भारत में मासिक डेटा उपयोग की मात्रा 92.4 मिलियन जीबी (दिसंबर 2014) से लगभग 156 गुना बढ़कर 14.4 ट्रिलियन जीबी (दिसंबर 2022) हो गई।
- OTT प्लेटफार्मों की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ ही टेलिविज़न दर्शकों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है।
- गौरतलब है कि वर्तमान में टेलीविज़न प्रसारकों पर कई प्रकार के नियामकीय प्रावधान किये गए हैं , ऐसे में OTT प्लेटफार्मों के लिये विनियमन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों के अभाव से टेलीविजन प्रसारकों के हितों को क्षति हो सकती है।
- TRAI द्वारा पहले ही टेलीविज़न प्रसारकों को टीवी चैनलों के मूल्यों पर एक सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया था , इसके साथ ही टेलीविजन प्रसारकों को लाइसेंस शुल्क के रूप में भी अधिक धन खर्च करना पड़ता है।
- टेलीविज़न प्रसारकों को प्रसारण से पहले सेंसर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है जबकि OTT प्लेटफार्मों के लिये इसमें भी छूट प्राप्त है।
- टेलीविज़न प्रसारकों के लिये विज्ञापन दिखाने की अवधि के संदर्भ में भी एक सीमा का निर्धारण किया गया है , जिसके तहत कोई भी प्रसारक एक घंटे के दौरान 12 मिनट से अधिक विज्ञापन नहीं दिखा सकता है।
- वर्तमान में अधिकांश युवा टीवी की अपेक्षा OTT को अधिक प्राथमिकता देते हैं, इसी प्रकार कम उम्र के छोटे बच्चे भी सीधे OTT प्लेटफार्मों से ही जुड़ते हैं।

ओटीटी सेवाओं के लिए दूरसंचार विधेयक के मसौदे में क्या निर्धारित किया गया है?

- प्रमुख बदलावों में से एक दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा में व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसी नए युग की ओवर-द-टॉप संचार सेवाओं को शामिल करना है।
- मसौदा कानून के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं के प्रदाता लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत कवर किए जाएंगे , और अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों के समान नियमों के अधीन होंगे।
- यह मुद्दा कई वर्षों से विवाद में रहा है क्योंकि दूरसंचार सेवा प्रदाता वॉयस कॉल , संदेश आदि जैसी संचार सेवाओं पर ओटीटी ऐप के साथ समान अवसर की मांग कर रहे हैं। जहां ऑपरेटरों को लाइसेंस और स्पेक्ट्रम की उच्च लागत का सामना करना पड़ता था, जबकि ओटीटी खिलाड़ी मुफ्त सेवाओं की पेशकश करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे हैं ।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है जो भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के विनियामन, प्रशासनिक और निगरानी कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी और यह दूरसंचार विभाग के अधीन आता है।

ट्राई के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं:

- **दूरसंचार विनियमन:** ट्राई द्वारा दूरसंचार सेवाओं के विनियमन और लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। यह सेवा प्रदाताओं के लिए नियम, निर्देशक तत्व, लाइसेंस शर्तें और सेवा गुणवत्ता के मानकों का पालन करने का काम करता है।
- **ग्राहक सुरक्षा:** ट्राई द्वारा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए कई नियम और दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं के शिकायतों का समाधान भी करता है।
- **दूरसंचार नेटवर्क की निगरानी:** ट्राई द्वारा दूरसंचार नेटवर्क की निगरानी की जाती है ताकि नेटवर्क सुगमता , सुरक्षा, गुणवत्ता और स्थायित्व की सुनिश्चितता हो सके।

स्रोत: IE

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com